विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-03/2024

श्री सुनिल नर्मदाप्रसाद श्रीवास्तव, — आवेदक
13/3, सीताबाग कॉलोनी, रींगल सिनेमा के पीछे,
इन्दौर (म0प्र0) – 452 003

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (पूर्व शहर) संभाग,
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
मनोरमा गंज झोन, इन्दौर,
जिला – इन्दौर (म0प्र0) – 452003

— अनावेदकगण

सहायक यंत्री (पूर्व शहर) संभाग,
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
मनोरमा गंज झोन, जिला – इन्दौर
इन्दौर (म0प्र0) – 452005

आदेश

(दिनांक 26.03.2024 को पारित)

दिनांक 22.03.2024 को आवेदक और अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

01. आवेदक – श्री सुनिल नर्मदाप्रसाद श्रीवास्तव, 13/3, सीताबाग कॉलोनी, रींगल सिनेमा के पीछे, इन्दौर (म0प्र0) ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू 0559823 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2023 से असंतुष्ट होने के कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (6) के अंतर्गत अपना लिखित अभ्यावेदन दिनांक 14.12.2023 को प्रस्तुत किया ।

अभ्यावेदन प्राप्त होने के पश्चात् विद्युत लोकपाल कार्यालय के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 05.01.2024 द्वारा आवेदक से **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2021''** की कण्डिका 3.38 के प्रावधान अनुसार देय राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि जमा संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया । उपर्युक्त के प्रतिउत्तर में आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि

श्री जे.के. ठोबंरे द्वारा उनके पत्र जो कि 18 जनवरी, 2024 को प्राप्त हुआ के माध्यम से यह सूचित किया कि आवेदक द्वारा बकाया राशि के 50 प्रतिशत का भुगतान कर दिया गया है । उन्होंने अपने लिखित कथन के साथ माह नवम्बर, 2023 के विद्युत देयक की प्रति संलग्न करते हुए प्रकरण को ग्राहय करने का अनुरोध किया ।

02. आवेदक प्रतिनिधि के उपरोक्ता कथन के आधार पर इस प्रकरण को क्रमांक एल.00–03/2024 पर दिनांक 18.01.2024 को दर्ज कर उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 08.02.2024 को नियत की गई । दिनांक 08.02.2024 को सुनवाई में आवेदक की ओर से उनके सलाहकार श्री एम0डी0 गोयल तथा अनावेदक की ओर से कम्पनी के प्रतिनिधि श्री कमलेश टाले, सहायक यंत्री, मनोरमा गंज जोन, इन्दौर उपस्थित हुए ।

सुनवाई के दौरान अनावेदक के प्रतिनिधि सहायक यंत्री, मनोरमा गंज जोन, इन्दौर द्वारा अपने लिखित कथन दिनांक 07.02.2024 में बताया गया कि **माह नवम्बर 2023 के विद्युत देयक में रू0 50,000/– आवेदक द्वारा चैक से जमा किए गए थे जो अनादरित (Bounced) हो चुका है ।** इसके अतिरिक्त भी पूर्व में उपभोक्ता द्वारा जुलाई 2023 में राशि रू. 40,000/–, अगस्त 2023 में राशि रू. 20,000/– एवं दिसम्बर 2023 में राशि रू. 14,000/– के जमा किए गए चेक अनादरित हो चुके हैं । अतः दिनांक 08.02.2024 की सुनवाई में यह तथ्य सामने आया कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2021''** की कण्डिका 3.38 के परिपालन में आवेदक का दिनांक 18.01.2024 को प्राप्त लिखित कथन जिसके साथ माह नवम्बर, 2023 का विद्युत देयक इस बात की पुष्टि के लिए संलग्न किया गया था कि उनके द्वारा विवादित राशि रू0 1,15,933/– का 50 प्रतिशत जमा कर दिया गया है, सत्य नहीं था ।

उपर्युक्त तथ्य को संज्ञान में लेकर आवेदक के सलाहकार श्री एम0डी0 गोयल को यह निर्देशित किया गया कि वह उपर्युक्त विनियम की कण्डिका 3.38 का पालन सुनिश्चित करें और विवादित राशि के 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कर उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत अपना प्रतिवेदन अनावेदक से सत्यापित करवाकर इस कार्यालय में एक सप्ताह के भीतर यानि 15.02.2024 तक प्रेषित करें । अतः उपभोक्ता के हित संरक्षण का ध्यान रखते हुए आवेदक को मौका देते हुए इस प्रकरण की अग्रिम सुनवाई **दिनांक 27.02.2024** को नियत की गई ।

03. इस प्रकरण की अगली सुनवाई के एक दिन पूर्व 26 फरवरी, 2024 को आवेदक द्वारा दूरभाष पर एवं आवेदक के दूसरे अधिकृत प्रतिनिधि श्री जे.के. ठोबंरे द्वारा ई–मेल पर आवेदक श्री सुनिल नर्मदाप्रसाद श्रीवास्तव का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण सुनवाई की तिथि को आगे

बढ़ाने का निवेदन किया गया जिसे स्वीकार कर सुनवाई की अगली तिथि 07 मार्च, 2024 तक बढ़ाई गई । किन्ही अपरिहार्य कारणों से उभयपक्षों को सूचित करते हुए इस प्रकरण में सुनवाई की तिथि दिनांक 22 मार्च, 2024 नियत की गई ।

04. दिनांक 22.03.2024 की सुनवाई के दौरान आवेदक एवं अनावेदक दोनों ही अनुपस्थित रहें । इस सुनवाई के दौरान प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 08.02.2024 को दिए गए निर्देश एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन पर यह पाया गया कि स्पष्ट निर्देश के उपरांत भी आवेदक द्वारा आज दिनांक 22.03.2024 तक डेढ़ माह पश्चात् भी ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2021''** की कण्डिका 3.38 का पालन नहीं करते हुए विवादित राशि का 50 प्रतिशत राशि के भुगतान संबंधित लिखित प्रतिवेदन मय साक्ष्य के प्रस्तुत नहीं किए गए ।

''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2021''** की कण्डिका 3.38 के प्रावधान अनुसार ऐसी स्थिति में अभ्यावेदन दर्ज करने योग्य नहीं होता है । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक अपने प्रकरण को विनियम के प्रावधानों का एवं प्रथम सुनवाई में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हुए गंभीरता से नहीं ले रहे हैं ।

05. आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष माह नवम्बर, 2023 के विद्युत देयक की प्रति प्रस्तुत करते हुए प्रकरण दर्ज तो करवा दिया गया परन्तु प्रथम सुनवाई दिनांक 08.02.2024 को चेक बाउंस (अनादरित) होने के तथ्य सामने आने के पश्चात् विवादित राशि का 50 प्रतिशत राशि जमा कराने के निर्देश का पालन करने हेतु वह उदासीन है और अपने इस प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है । अतः ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2021''** की कण्डिका 3.38 के प्रावधानों का पालन नहीं होने से इस प्रकरण को खारिज करते हुए प्रकरण समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे । आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

(गजेन्द्र तिवारी)
विद्युत लोकपाल